

**// आवास आवंटन आदेश //**

आवास आवंटन समिति की अनुशंसा तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित आवेदकों को आवास आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.	आवेदक का नाम	पद	विभाग	आवंटित आवास क्र.
1.	डॉ. मनमोहन कापसे	प्राध्यापक	वास्तु-कला एवं नियोजन	III/28
2.	डॉ. राजेश वाधवानी	सह-प्राध्यापक	कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	IV/11
3.	डॉ. पुष्पेंद्र यादव	सह-प्राध्यापक	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	IV/07 (रिक्त होने की स्थिति में) Subject to Vacation
4.	डॉ. गुम्फू श्रीनावासुलू	सहायक प्राध्यापक	विद्युत अभियांत्रिकी	VI/66 (रिक्त होने की स्थिति में) Subject to Vacation
5.	डॉ. अर्चना बाल्मिक	सहायक प्राध्यापक	कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी	VII/52
6.	डॉ. प्रियाब्रता मंडल	सहायक प्राध्यापक	गणित विभाग	VI/28 (रिक्त होने की स्थिति में) Subject to Vacation
7.	डॉ. विजय सिंह रावत	एस.ए.एस अधिकारी	शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग	VI/16 (रिक्त होने की स्थिति में) Subject to Vacation
8.	श्री प्रदीप कुमार यादव	तकनीकी सहायक	जनपद अभियांत्रिकी	VII/23
9.	श्री मोहित साहू	अधीक्षक	शिक्षाविद अनुभाग	VII/10
10.	श्री चंद्रादित्य सिंह चौहान	अधीक्षक	स्थापना अनुभाग	VII/36
11.	श्री अमरजीत पाल	अधीक्षक	संपदा अनुभाग	VII/11

**टिप्पणी: -**


- उपरोक्त आवास आवंटन संस्थान की नवीनतम आवास आवंटन नियमावली (House Allotment Rules) के अंतर्गत किया गया है, जिसे संस्थान में दिनांक:- 15/11/2021 से लागू किया गया है। यह आवास आवंटन नियमावली संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- प्रत्येक आवंटनी को यह आदेश प्राप्त होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर नए आवंटित आवास पर स्थानांतरित होना आवश्यक है, अन्यथा आवंटन स्वतः ही रद्द माना जाएगा तथा आवंटन स्वीकार न होने की स्थिति में आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए आवंटनी को आवास आवंटन के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं आवंटनी को आवंटित आवास की श्रेणी का एक महीने का लाइसेंस शुल्क भुगतान करना होगा।

3. आवंटित आवास में आवंटियों को दुधारू पशु अथवा अन्य कोई पशु रखने की अनुमति नहीं है।

यह आवास आवंटन आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है।

प्रति,

समस्त आवंटी

  
26/02/24  
उप-कुलसचिव (सपदा)

प्रतिलिपि: -

1. सम्पदा अधिकारी हेतु सूचनार्थ
2. प्रभारी ग्राध्यापक (वेबसाइट) - संस्थान की वेबसाइट पर अंकित करने हेतु
3. संकाय अध्यक्ष (संकाय कल्याण) हेतु सूचनार्थ
4. निज-सचिव (कुलसचिव) - कुलसचिव के सूचनार्थ
5. निज-सचिव (निदेशक) - निदेशक के सूचनार्थ।